आदेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 331/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ति वसूली शाखा, 101–110, प्रथम तल, अनुकम्पा टॉवर, चर्च रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा कुमारी मीणा पत्नी श्री ब्रजेश कुमार मीणा,
2. श्री ब्रजेश कुमार मीणा पुत्र श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मीणा,

पता :– फ्लेट नं. एल–812, आठवां तल, वृन्दा गार्डन फेज–प्रथम, आरटीओ कार्यालय के पास, ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर,

प्लॉट नं. डी–817, आशियाना ग्रीन वर्ल्ड, जेडीए शूटिंग रेन्ज, जगतपुरा, जयपुर

एवं प्लॉट नं. 38–सी, कुशल नगर, न्यू सांगानेर रोड़, रेलवे ब्रिज के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.07.2015 जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती इंद्रा कुमारी मीणा पत्नी श्री ब्रजेश कुमार मीणा के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. एल–812, आठवां तल, वृन्दा गार्डन फेज–प्रथम, आरटीओ कार्यालय के पास, ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 1490 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 34,98,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 34,98,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 35,93,449.89/– रूपये जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक 12.07.2024 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती इंद्रा कुमारी मीणा पत्नी श्री ब्रजेश कुमार मीणा के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. एल–812, आठवां तल, वृन्दा गार्डन फेज–प्रथम, आरटीओ कार्यालय के पास, ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 1490 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner